

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।
(मनोरंजन कर अनुभाग)

संख्या 965 / 2019-20

दिनांक 16 मार्च, 2020

आदेश

उ0प्र0 शासन द्वारा कोविड 19 कोरोना वायरस को महामारी घोषित करते हुए इसके फैलाव/प्रभाव के बचाव हेतु चिकित्सा अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या-548/पॉच-5/2020 दिनांक 14.03.2020 को जारी किया गया है जिसके प्रस्तर-12 में प्रदत्त शक्ति एवं विहित व्यवस्था के क्रम में, जनपद/शहर के समस्त एकल सिनेमा हाल/ मल्टीप्लेक्स छविगृह, क्लब, डिस्को (Disco) तरण ताल (Swimming pool), व्यायामशाला (Gym) एवं वाटर पार्कों को दिनांक 22.03.2020 तक बंद रखने हेतु संबंधित स्वामियों/संचालकों को आदेशित किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। आदेश का उल्लंघन उपरोक्त अधिसूचना के प्रस्तर-15 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता की धारा-88 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

(डा0 ब्रह्मदेव राम तिवारी)

जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर

पू0सं0- / म0क0 / तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त, कानपुर मण्डल कानपुर।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/उप पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर नगर।
3. मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर नगर।
4. समस्त अपर जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
5. नगर मजिस्ट्रेट/समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।
6. समस्त उपजिलाधिकारी, कानपुर नगर।
7. मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर नगर।
8. क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, कानपुर नगर।
9. वाणिज्य कर अधिकारी प्र0 पूर्व मनोरंजन कर विभाग, कानपुर नगर।
10. जिला आबकारी अधिकारी, कानपुर नगर।
11. उप निदेशक, सूचना कानपुर नगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश की सूचना का प्रकाशन जनहित में समस्त समाचार-पत्रों में निःशुल्क कराना सुनिश्चित करें।
12. समस्त संबंधित आमोदों के स्वामी/संचालकों को अनुपालनार्थ।

(डा0 ब्रह्मदेव राम तिवारी)

जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर